

दिनांक

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, नगर उंटारी (गढ़वा)

परमिशन वाद- 09/16-17 धारा 46 CNT Act

विगन सिंह - विक्रेता
प्रति

देवनारायण सिंह - क्रेता
आदेश

26.7.17

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, धुरकी के पत्रांक 247 दिनांक 24.09.2016 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि का मांग आवेदक की माँ शनिचरी खरवारीन के नाम से दर्ज है। मांगधारी मृत हो चुकी हैं। अंचल अधिकारी, धुरकी के द्वारा प्रस्तावित रैयत विगन सिंह के माँ के नाम से 7.06½ एकड़ भूमि का मांग चलता है। जिसमें से आवेदक के द्वारा पुत्री के शादी हेतु 0.79 एकड़ भूमि क्रेता देवनारायण सिंह के हाथों बिक्री करने हेतु अनुशंसा की गई है।


प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर विक्रेता विगन सिंह पिता- स्व0 रामदेव सिंह जाति- खरवार ग्राम-गनियारी खुर्द, थाना-धुरकी, जिला-गढ़वा को क्रेता देवनारायण सिंह पिता- बच्चु सिंह जाति-खरवार ग्राम-गनियारी खुर्द, थाना-धुरकी, जिला-गढ़वा के हाथों नीचे वर्णित भूमि बिक्री करने की स्वीकृति दी जाती है।


भूमि का विवरण :-

ग्राम	खाता	प्लॉट	रक्बा	चौहदी
गनियारी खुर्द	11/121	324/444	0.08	उ0- रास्ता
174	11/121	325/444	0.28	द0- निजक्रेता
	11/121	327/444	0.07	पू0-सुरेश सिंह
				प0-भोला सिंह वगै0
174	11/121	133/2364	0.36	उ0-शंकर सिंह वगै0
		कुल रक्बा-	0.79	द0-रामनाथ राम
				पू0-बांध
				प0-निजक्रेता

आदेश की प्रति आवेदक एवं अवर निबंधन पदाधिकारी, नगर उंटारी को अनुपालन हेतु भेजे।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
नगर उंटारी।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
नगर उंटारी।